54

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 332—दो/2009 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16.03.09 के द्वारा अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 166/निग/08—09

.....

बंशीलाल पिता मथुरा प्रसाद अहिर
निवासी ग्राम गडेरिया तह0 वैढन
जिला—सिंगरौली

.....आवेदक

विरूद्ध

1.जाखेन साकेत पिता रधुवीर साकेत
2.मिश्रीलाल पिता बंशमन प्रसाद साकेत
3.केशरी प्रसाद पिता बबुआराम तिवारी
4.कृष्णा देवी पति कश्मीरी लाल अग्रवाल
5.केमला पिता रामाधीन पाल
सभी निवासीगण ग्राम गडेरिया तहसील
बैढन जिला—सिंगरौली म0 प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय

.....

आदेश

(आज दिनांक 22/12/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 16.3.09 के विरूद्ध म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गडेरिया तहसील वैढन का सर्वे बन्दोवस्त किया गया तथा उक्त बन्दोवस्त करते समय ग्राम गडेरिया का पुराना आराजी कमांक 29, 46, 51, 396, 402 का बन्दोवस्त करते समय ग्राम गडेरिया का पुराना कमांक के स्थान पर नया नम्बर निर्मित किया गया तथा उस समय जो उक्त नम्बरों के सरहदी सीमावर्ती ग्राम डगा की आरा कमांक 2142, 2156, 2158, 2159 को भी ग्राम गडेरिया तहसील सिंगरौली में सामिल कर दिया गया जो आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की आराजीयात है तथा उक्त दोनों ग्रामों की आराजियात को शामिल कर दिया गया जो आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की आराजियात है तथा उक्त दोनों ग्रामों की आराजियात को शामिल किया जाकर नया निर्मित आराजी कमांक 1, 4, 28, 30, 74, 107, 186, 373, व 382 निर्मित किया गया जो सभी भूमियां गैर हकदार की भूमियां थी। यह निगरानी उप बन्दोबस्त अधिकारी सीधी के प्रकरण कमांक 235/बी–121/98–99 मे पारित आदेश दिनांक 6.09.99 प्रकरण कमांक 231/बी–121/98–99 में पारित आदेश दिनांक 6.9.99 प्र0क0 227/बी–121/98–99 में पारित आदेश दिनांक 6.9.99 प्र0क0 229/बी–121/98.–99 में पारित ओदश 6.9.99 प्र0क0 2230/बी–121/98–99 में पारित आदेश दिनांक 6.9.99 एंव प्रकरण कमांक 243/बी–121/98.99 में पारित आदेश दिनांक 06.09.99 के विरुद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की जो उनके द्वारा आदेश दिनांक 16.3.09 द्वारा प्रकरण में आदेश पारित करते हुये कहा गया है कि यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय में होना थी और प्रकरण निरस्त कर दिया गया। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के पूर्व न तो उक्त सभी प्रकरणों में किसी भी प्रकारका सूचना या इस्तहार का प्रकाशन

नहीं कराया गया तथा आवेदक कजो गैरहकदार भूमिस्वामी के रूप में कास्त करता रहा व आज भी काविज व दखील है। सहायक बन्दोवस्त आधिकरी द्वारा उक्त दोनों ग्रामों को एक ग्राम मे मिला कर नये नम्बर कायम किया जाकर तथा उनका अवैधानिक तरीके से व्यवस्थापन अनावेदकगणों के नाम अलग अलग प्रकरण कायम किया जाकर तथा एक ही दिनांक को सभी प्रकरणों का व्यवस्थापना अनावेदकगणों के नाम अलग अलग प्रकरण कायम किया जाकर तथा एक ही दिनांक को सभी प्रकरणों का व्यवस्थापन किया गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के प्रतिकूल हैं। कम से कम वन्दोवस्त अधिकारी को मौके में जांच पडताल करनी चाहिये थी व पटवारी व मौके से नक्शा आदि देखकर व पंचनामा आदि तैयार कर भूमिस्चामी घोषित करने की कार्यवाही करनी चाहिये। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में 9 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की थी जो उनके द्वारा समय सीमा न होने के कारण ग्राह्यता के बिन्दु पर ही प्रकरण निरस्त किया गया था, जो उनका आदेश उचित था। उनके आदेश से सहमत हूँ।

5–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण क्रमांक 166/निग/08–09 में पारित आदेश दिनांक 16.3.09 उचित होने से स्थित रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर